राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

क्रमांकः प.9 (2) (1) कार्मिक/क-3/2002 जयपुर, दिनांक 28 JUN 2003

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/सचिव,
2. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

परिपत्र

विषयः- अनुशासनिक जांच कार्यवाही के परिणामस्वरुप जारी दण्डादेश एवं उसके निष्पादन के संदर्भ में।

राज्य सरकार के समक्ष अनुशासनिक जांच कार्यवाही के परिणामस्वरुप जो दण्डादेश प्रसारित किये जाते हैं उनके निष्पादन के संदर्भ में कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण हेतु प्रकरण प्राप्त हुये हैं, उनके संदर्भ में स्थिति निम्न प्रकार से स्पष्ट की जा रही हैः-

बिन्दू संख्या (1):- अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जिन प्रकरणों में असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं और यदि संबंधित राजसेवक दण्डादेश के निष्पादन होने से पूर्व अथवा दण्डादेश निष्पादन के दौरान ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो दण्डादेश का निष्पादन किस प्रकार से होगा और इस प्रकार के राजसवेक का वेतन आदि पेंशन उद्देश्यों के लिये किस प्रकार से निर्धारित होगा?

(i) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा असंचयी प्रभाव से रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियां दण्डादेश के निष्पादन के उपरांत नोशनल रूप से वापस राजसेवक को प्राप्त हो जावेगी लेकिन संचयी प्रभाव से रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियां पुनः प्राप्त नहीं होती हैं। अतः दोनों ही दण्डादेशों में मूलभूत अंतर है। ऐसी स्थिति में इनके निष्पादन के उपरांत इनके परिणाम पर भी तद्नुसार ही अंतर होना आवश्यक है।

(ii) राज. सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 17 के क्लॉज (अअ) का संदर्भ इस बारे में प्रासंगिक हैः-

(aa) holding an enquiry, in the manner laid down in Rule 16, in every case, in which it is proposed to withhold increments of pay for a period exceeding three years, or with cumulative effect for any period or so as to adversely affect the amount of pension payable to him or in which the disciplinary authority is of the opinion that such inquiry is necessary;

उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियमों के प्रावधानों की यह भावना है कि यदि असंचयी प्रभाव से 3 से अधिक अथवा संचयी प्रभाव से कोई भी अथवा ऐसा दण्डादेश जो पेंशन में स्थाई रूप से हानि पहुँचाता है तो उसके लिये नियम 16 में वर्णित जांच प्रक्रिया का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

उक्त नियमों की भावना के अनुसारः-

1. यदि नियम 16 की प्रक्रिया अपनाते हुये भी यदि असंचयी प्रभाव से वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं तो वे राजसेवक की पेंशन में हानि पहुंचाती हो तो भी दण्डादेश नियमानुसार वैधानिक होगा।

2. यदि नियम 17 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार जांच कार्यवाही सम्पादित करके और यदि असंचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं तो वे किसी भी प्रकार से राजसेवक की पेंशन में प्रतिकूल प्रभाव डालने योग्य नहीं होगी।

अतः इस बिन्दू के संदर्भ में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि नियम 17 की जांच कार्यवाहियों के दण्डादेशों में यदि राजसेवक दण्डादेश निष्पादन से पूर्व अथवा दण्डादेश निष्पादन के दौरान सेवानिवृत्त हो जाता है और दण्डादेश पूरा ही निष्पादित नहीं होता अथवा आंशिक रूप से निष्पादित हो जाता है तो जिस सीमा तक इस दण्डादेश का निष्पादन नहीं हुआ है वह तो अभित्याग होगा लेकिन चूंकि नियम 17 की मानसिकता राजसेवक की पेंशन में विपरीत प्रभाव डालने के संदर्भ में नहीं है, अतः सेवानिवृत्ति के दिवस को उसकी असंचयी प्रभाव से रोकी गई वेतनवृद्धियां नोशनल रुप से राजसेवक को पुनः प्राप्त होकर देय होंगी और वह मात्र पेंशन हेतु गणना योग्य होगी।

यह उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकार की स्थिति संचयी प्रभाव से रोकी गई वेतनवृद्धियों में भी इस बिन्दू पर समान रूप से लागू होती है कि संचयी प्रभाव से रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धि का दण्ड निष्पादन पूर्व ही राजसेवक सेवानिवृत्त हो जाता है तो दण्डादेश का निष्पादन भौतिक रूप से नहीं हो सकेगा और यह दण्डादेश अभित्याग (Waive) होगा।

जहां तक प्रश्न संचयी प्रभाव से रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धि के दण्ड के निष्पादन के दौरान यदि राजसेवक सेवानिवृत्त हो जाता है तो जो संचयी प्रभाव से वेतनवृद्धियां रोकी गई हैं, उनका निष्पादन हो चुका है, वे निष्पादित मानी जायेंगी और जिनका निष्पादन नहीं हो सकता, वे अभित्याग (Waive) मानी जायेंगी। इस प्रकार के प्रकरणों में जिनमें वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी गई हैं और जो निष्पादित हो चुकी हैं, वे सेवानिवृत्ति के दिवस को नोशनल रूप से रिगेन नहीं होगी। ऐसी स्थिति में सेवानिवृत्ति के दिवस को जो वेतन इस प्रकार के राजसेवक प्राप्त कर रहे थे, उनके आधार पर पेंशन की गणना होगी।

अनुशासनिक प्राधिकारी का यह दायित्व बनता है कि दण्डादेश प्रसारित करने से पूर्व राजसेवक की सेवानिवृत्ति तिथि को ध्यान में रखते हुये दण्डादेश पारित करें और इस प्रकार का दण्डादेश पारित करें कि वह दण्डादेश सेवानिवृत्ति के पूर्व निष्पादित हो सके।

बिन्दू संख्या (2):- अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अलग-अलग दण्डादेशों के परिणामस्वरुप राजसेवक को पेंशन रोकने के दण्ड अधिरोपित होते हैं, इसमें अलग-अलग पेंशन का भाग अलग-अलग दण्डादेश में रोका जाता है लेकिन परिणामस्वरुप पेंशन 100 प्रतिशत से भी अधिक रोकी जाती है तो इस प्रकार के दण्डादेश का निष्पादन किस प्रकार से होगा।

इस प्रकार के प्रकरणों में दण्डादेश राज. सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1996, के नियम 7 के अंतर्गत प्रसारित होते हैं और यदि 100 प्रतिशत पेंशन या समस्त पेंशन सदैव के लिये एक ही आदेश के द्वारा एक ही प्रकरण में रोकी जाती है तो यह महामहिम राज्यपाल महोदय की अधिकारिता में है लेकिन यदि पेंशन का कोई भाग रोका जाता है तो नियम 7 में विशेष रूप से कुछ राशि आरक्षित कर रखी है, जो नहीं रोकी जायेगी और उस सीमा तक पेंशन राजसेवक को मिलती रहेगी। अतः प्रत्येक दण्डादेश में इस तथ्य का ध्यान रखना होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक दण्डादेश और यदि एक से अधिक दण्डादेश पेंशन रोकने के प्रसारित होते हैं तो ये सदैव ध्यान रखना होगा कि 100 प्रतिशत पेंशन में से ही प्रत्येक दण्डादेश पारित होगा। उदाहरण के तौर पर यह सही नहीं होगा कि प्रथम दण्डादेश में यदि 25 प्रतिशत पेंशन रोकी है तो आगे के दण्डादेश प्रसारित करने में शेष 75 प्रतिशत पेंशन को मानकर दण्डादेश प्रसारित किये जाए।

जहां तक प्रश्न अलग-अलग दण्डादेश जिनमें कुल मिलाकर 100 प्रतिशत से अधिक पेंशन रोकी जा चुकी है, से है, उनके निष्पादन के बारे में स्थिति स्पष्ट रहेगी कि पेंशन नियमों के नियम 7 में जो न्यूनतम पेंशन पेंशनर के लिये जो छोड़ी गई है वह आरक्षित छोड़ते हुये 100 प्रतिशत पेंशन की सीमा तक दण्डादेश निष्पादित होंगे। इसके अतिरिक्त जो दण्डादेश 100 प्रतिशत से अधिक हो जायेंगे उनका निष्पादन अभित्याग (Waive) समझा जायेगा, जब तक कि पूर्व के अन्य किसी दण्डादेश किसी भी कारणवश निरस्त और पुनरावलोकिन नहीं हो जाते हैं।

बिन्दू संख्या 3:- राज. सिविल सेवाएं (पेंशन) नियम 1996 के नियम 7 के अंतर्गत 4 वर्ष के उपरांत पेंशन का कोई भाग दो वर्ष के लिये रोका जाता है तो इस प्रकार का दण्डादेश क्या आदेश प्रसारित होने के दिन से निष्पादित होगा ?

इस प्रकार के प्रकरणों में दण्डादेश पारित होने के दिवस से दण्डादेश निष्पादित होगा।

बिन्दू संख्या 4:- अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा एक या अधिक वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी अथवा असंचयी प्रभाव से रोकी हैं लेकिन कर्मचारी पहले से ही अधिकतम वेतनमान पर चल रहा है अथवा प्राप्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में दण्डादेश किस प्रकार से निष्पादित हो सकेगा?

यदि राजसेवक अधिकतम वेतनमान प्राप्त कर रहा है और उसे और वेतनमान अथवा वार्षिक वेतनवृद्धियां देय नहीं होगी तो उसके विरुद्ध इस प्रकार का अधिरोपित दण्डादेश निष्पादित नहीं हो सकेगा तथा यह अंततः अभित्याग योग्य होगा लेकिन यदि भविष्य में उसे उच्चतर वेतनमान/पदोन्नति व अन्य किसी प्रकार से वेतनवृद्धियां प्राप्त होती है तो वे रोकी जाकर दण्डादेश निष्पादित किया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि राज. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 32 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी, नियम 33 के अंतर्गत राज्य स्तरीय सेवा के अधिकारियों के संदर्भ में राज्य सरकार और नियम 34 के अंतर्गत महामहिम राज्यपाल महोदय इस प्रकार के त्रुटिपूर्ण आदेशों को परिवर्तित करने की अधिकारिता रखते हैं।

अनुशासनिक प्राधिकारी का प्राथमिक दायित्व यह होता है कि राजसेवक की अधिकतम वेतन की स्थिति अथवा सेवानिवृत्ति तिथि जैसी भी स्थिति हो, को ध्यान में रखते हुये दण्डादेश प्रसारित करें। इस प्रकार के दण्डादेश प्रसारित करना जो निष्पादित नहीं हो सके, निरर्थक हो जाते हैं, उचित नहीं है। इस संदर्भ में समय समय पर इस आशय के परिपत्र जारी किये जाते हैं लेकिन उनकी अनुपालना नहीं हो रही हैं ऐसी स्थिति में पुनः अनुशासनिक प्राधिकारियों को इस बिन्दू पर ध्यान आकर्षित किया जाता है कि दण्डादेश प्रसारित करने से पूर्व राजसेवक की सेवानिवृत्ति तिथि अथवा उसका वेतनमान/वेतनवृद्धि की तिथि इत्यादि को ध्यान में रखते हुये युक्तिसंगत दण्डादेश पारित करें ताकि निष्पादन में कोई बाधा नहीं हो और दण्डादेश पूरी तरह से यथासमय निष्पादित हो सके।

बिन्दू संख्या 5:- जब भी वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोकी जाती है तो उनका निष्पादन शास्ती निष्पादन की अवधि में किस प्रकार से होगा?

इस प्रकार की स्थिति में शास्ती निष्पादन की अवधि में सभी वेतनवृद्धियां रुकेंगी और शास्ती निष्पादन अवधि के बीच में कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी। वे हमेशा के लिये रुकी रहेंगी।

यहां यह स्पष्ट किये जाने योग्य है कि असंचयी प्रभाव से रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धियां, उदाहरण के तौर पर यदि 3 वार्षिक वेतनवृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकी गई हैं तो 3 वर्ष तक लगातार वार्षिक वेतनवृद्धियां रुकी रहेंगी और चौथी वार्षिक वेतनवृद्धियों के साथ रोकी गई तीनों वार्षिक वेतनवृद्धियां ही नोशनल देय होंगी जबकि संचयी प्रभाव से रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियां शास्ति अवधि के उपरांत भी नोशनल रूप से देय नहीं होती हैं।

बिन्दु संख्या 6:- यदि राजसेवक के संदर्भ में एक से अधिक दण्डादेश में असंचयी प्रभाव से वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने के अलग-अलग दण्डादेश पारित हैं तो इसका निष्पादन किस प्रकार से होगा ?

इस प्रकार के दण्डादेशों के निष्पादन में प्रथम दण्डादेश जो असंचयी प्रभाव से वार्षिक वेतनवृद्धियां रोकने का है, वह निष्पादित होगा, इसके उपरांत रोकी गई वार्षिक वेतनवृद्धियां (असंचयी प्रभाव वाली) नोशनल रूप से राजसेवक को दी जायेंगी और उसके उपरांत आगामी दण्डादेश निष्पादित होगा। इस प्रकार की प्रकिया सम्पादित होती रहेगी।

बिन्दु संख्या 7:- अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा प्रसारित दण्डादेश निष्पादन के संदर्भ में एक से अधिक दण्डादेश करीब समान अवधि में निष्पादन हेतु प्राप्त होते हैं तो उनका निष्पादन किस प्रकार से होगा?

यदि एक समय में एक से अधिक शास्तियां अधिरोपित हो जाती हैं अथवा पूर्व की शास्ति के निष्पादनकाल में अन्य कोई शास्ति अधिरोपित हो जाती है तो उस स्थिति में गम्भीर प्रकृति का दण्ड पहले और प्राथमिकता पर निष्पादित किया जायेगा। उदाहरण के तौर पर राजसेवक का संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड निष्पादित हो रहा है और इस निष्पादन अवधि में ही यदि उसे सेवा से पृथक करने का आदेश दण्डादेश के रूप में प्रसारित होता है तो यह दूसरा दण्डादेश पहले निष्पादित होगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि पहला दण्डादेश निष्पादन होना शुरु हो गया था, लेकिन इस निष्पादन अवधि के बीच में ही दूसरा दण्डादेश पारित हुआ जो अधिक गम्भीर प्रकृति का है, तो गम्भीर प्रकृति का दण्डादेश पहले निष्पादित होगा। इसके निष्पादन के उपरांत भी पूर्व का दण्डादेश निष्पादन योग्य यदि शेष रह जाता है तो वह बाद में निष्पादित होगा।

अतः समस्त संबंधितों को व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त स्थिति का ध्यान रखते हुये दण्डादेशों के प्रसारण एवं निष्पादन की कार्यवाही करावें।

राम नारायण
2016
शासन सचिव